



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

File No NCST/SER-926/MH/28/2023-SSW

Dated:- 27.06.2024

सेवा में,

Ms. Manisha Awhale

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद,

सोलापुर, (महाराष्ट्र) - 413403

(Email: ceo_solapur@gmail.com)

(Tel. No: 0217-2625500)

विषय:- अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ जिला परिषद सोलापुर द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में - श्री दिगम्बर काले, केन्द्र प्रमुख, जिला-सोलापुर (महाराष्ट्र) का दिनांक 24.03.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सोलापुर पत्र जाक्र. जिपसो/ शिक्षण /प्राथ /प्राआ -5/661/2023 दिनांक 06.11.2023

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री जे. हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 08.07.2024 को 12:00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। श्री दिगम्बर काले को सिटिंग में उपस्थित होने के लिए भी सूचित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

Phone -24641640

Copy to :-

Shri Digember Umaras Kale

AT & Post-Modnimb, Datta Nagar,

Taluka-Medha,

Distt- Solapur, (Maharashtra) - 413301

(Mobile No:9403870855)

(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 08.07.2024 को 12:00 बजे आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो।)